संख्या- 112/1-10-2017-12(34)/03टी0सी0-5

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली, अमेठी एवं बागपत ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 01 फरवरी ~~जनवरी~~, 2017

विषय: वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान-प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प्स के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 48,50,000/- (अड़तालिस लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रम संख्या | जनपद का नाम, पत्रांक व दिनांक | कम्बल हेतु आवंटित धनराशि (रू0 में) | अलाव हेतु आवंटित धनराशि (रू0 में) | स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चन्दौली,<br>पत्रांक-34,<br>दिनांक-04.01.2017 | 25,00,000 | -- | 25,00,000 |
| 2 | अमेठी,<br>पत्रांक-1589,<br>दिनांक-04.01.2017 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
| 3 | बागपत,<br>पत्रांक-495,<br>दिनांक-16.01.2017 | -- | 1,50,000 | 1,50,000 |
| | योग | 45,00,000 | 3,50,000 | 48,50,000 |
| | | | | (अड़तालिस लाख पचास हजार मात्र) |

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-1200/1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-I, दिनांक 07.11.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

( अरविन्द कुमार )
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 112 (1)/1-10-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

2- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( मदन मोहन)
उप सचिव।